

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0वि0-26/2003 विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004,
जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है,
के क्रम में अरवल, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित
सदस्य होंगे :-

- 1 जिला समाहर्ता - अध्यक्ष
 - 2 जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य सचिव
- (क) जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि
3. जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य - सदस्य
 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य - सदस्य
- (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि
5. उप विकास आयुक्त - सदस्य
 6. जिला शल्य चिकित्सक - सदस्य
 7. जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य
 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य
 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम - सदस्य
 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् - सदस्य
 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन - सदस्य
- (ग) महिला प्रतिनिधि
- श्रीमति मंजु कुमारी, - सदस्य
पति- श्री संजय कुमार वर्मा
- 1 पता- ग्राम- ताजन बिगहा,
पो0- रामपुर चौरम, प्रखंड- अरवल,
जिला- अरवल।
जूली कुमारी, - सदस्य
पति- श्री रेवा पासवान,
 - 2 पता- खानगाह रोड, अरवल, सिपाह,
थाना+प्रखण्ड+जिला- अरवल
- (घ) स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि
1. श्रीमति मीना देवी, शिव स्वयं सहायता समूह - सदस्य
पता-ग्राम- भगवतीपुर, पंचायत- अनुआ,
थाना- बंशी, प्रखण्ड- सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर

